

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर



कार्यालय आदेश



विभाग के अधीन संचालित विद्यालय में प्रधानाचार्य-उमावि के शिक्षा अधिकारी का कॉलम संख्या-3 में अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या-4 में अंकित स्थान/ विद्यालय से आहरित किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। सम्बन्धित शिक्षा अधिकारी द्वारा यदि कॉलम संख्या-3 में वर्णित अवधि के दौरान किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया है, तो अवकाश स्वीकृति एवं उपस्थिति की पूर्ण जांच कर किये बिना, कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जावे।

क्रं.सं	कार्मिक का नाम मय पदनाम व पदस्थापन स्थान	अवधि	स्थान/विद्यालय का नाम जहां से वेतन आहरित किया जाना है
1	2	3	4
1	श्री विजेन्द्र कुमार सुरोलिया प्रधानाचार्य राउमावि हरडिया, खेतडी, झुंझनू	दिनांक 28.06.2019 से 31.07.2019 तक	राउमावि नंगली सलेदीसिंह, खेतडी, झुंझनू
		दिनांक 01.08.2019 से 31.10.2019 तक	रा0जयसिंह उमावि खेतडी, झुंझनू

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/बी-1,2/वेतन व्यवस्था/2020/ दिनांक:- 21.10.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)राजस्थान सरकार जयपुर
- 2 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 3 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा ।
- 4 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
- 5 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय-माध्यमिक
- 6 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी खेतडी, झुंझनू को पत्र क्रमांक सीबीईओ/खे/संस्था-I/2020/1146 दिनांक 08.10.2020 के क्रम में ।
- 7 सम्बन्धित कार्मिक/संस्था प्रधान को पालनार्थ ।
- 8 रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)